न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 121/2015 एल.आर.एक्ट

1. जवाये खां पुत्र श्री जूले खां जाति मुसलमान निवासी चक 3 एस.डब्लू.एम. तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. अब्दुल मजीद पुत्र अल्ला जुवाया जाति मुसलमान निवासी हाल 11 बीएलडी 'ए' तहसील पूगल जिला बीकानेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. आलमी बेवा यारू खां 2. मांगी 3. इज्जत 4. आरिफ खां	पिसरान यारू खां	जाति मुसलमान निवासी चक 3 एस.डब्लू.एम. तहसील पूगल जिला बीकानेर।
5. ताजा बेवा आशिक खां पुत्र यारू खां		
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल		

रेस्पोन्डेंटान

उपस्थित	श्री धीरेन्द्रसिंह भदौरिया	अभिभाषक अपीलांट नं. 1
	श्री राजेश वैद	अभिभाषक अपीलांट नं. 2
	श्री हरिराम विश्नोई	अभिभाषक रेस्पो. नं. 1 ता 5
	श्री सुभाष सहू	राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 13–11–2019

1. उक्त अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा प्रथम अपील सं0 5/2015 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 02–09–2015 के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसील पूगल के चक 11 बी.एल.डी. 'ए' के मु.नं. 133/50 के किला नं. 21 ता 25 में 4.10 बीघा अपीलांट की खातेदारी भूमि है जिसमें अपीलांट व उसके पुत्र की ढाणी बनी हुई है और मौके पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेंट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के खातेदारी व आवंटन इन्तकाल संख्या 29 (28) दिनांक 27–6–2011 के विरूद्व अपील पेश की गई। अपीलांट जवाये खां की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि यह अपील मूल आदेश की अपील नहीं कर इन्तकाल के विरूद्व अपील पेश की गई है, जो मेन्टेनेबल नहीं है, अपील मियाद बाहर पेश की गई थी तथा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया था। आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अब्दुल मजीद की तरफ से पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया की उक्त भूमि वर्तमान में इन्तकाल संख्या 45 से उसके नाम हो चुकी है तथा वह रिकार्डड खातेदार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस सुन, बिना अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किये अपील का अन्तिम रूप से मेरिट पर आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील स्मालपेच का आंवटन व खातेदारी सनद दिनांक 4–1–2002 को अधीनस्थ न्यायालय के समकक्ष

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिकारी द्वारा जारी की गई थी की पालना में दर्ज इन्तकाल की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था, क्योंकि खुद के द्वारा जारी सनद की अपील स्वयं के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। अपीलांट का स्माल पेच का आवंटन राजस्व मण्डल से रिमाण्ड होने पर तत्कालीन सहायक आयुक्त उपनिवेशन, (छ), बीकानेर ने रेस्पोडेंट के पिता यारू खां के पास सीलिंग से अधिक भूमि मानकर अपीलांट का आवंटन बहाल रखा था, जिसकी पत्रावली नहीं मिलने के कारण रेस्पोडेंट्स तमाम गलत कार्यवाहियां कर रहे है। रेस्पोडेंट्स का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। स्व. यारू खां के पास सीलिंग से ज्यादा कमाण्ड भूमि होने के कारण उसे तत्कालीन आवंटन अधिकारी ने पात्र नहीं माना जिसके विरूद्व यारूखां ने कोई कार्यवाही नहीं की। यारू खां की मृत्यु के बाद उनके वारिसों में भूमि बंटन के बाद अब मूल आदेश की अपील नहीं कर गलत कोर्ट में इन्तकाल की अपील की गई है जो निरस्त करने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल का आदेश दिनांक 02–09–2015 को निरस्त कर अपीलांट के नाम दर्ज इन्तकाल बहाल रखा जावें।

3. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोन्डेंट्स के निमित सम्मन जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया।

4. अपील में बहस सुनी गई। अपीलान्ट नं. 1 व 2 के अभिभाषको ने अपील मिमो के बिन्दुओ को दौहराते हुऐ बहस कर कहा कि तहसील पूगल के चक 11 बीएलडी 'ए' के मु.नं. 133/50 के किला नं. 21 ता 25 में 4.10 बीघा भूमि अपीलांट्स की खातेदारी भूमि है जिसमें अपीलांट व उसकें पुत्र ने ढाणी बना रखी है तथा काश्त करते है। रेस्पोडेंट्स आलमी वगैरह ने अधीनस्थ न्यायालय में मूल आदेश एवं सनद के विरूद्व अपील नहीं कर उसकी पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 27–06–2011 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। रेस्पोडेंट्स को नामान्तरकरण संख्या 29 से किसी प्रकार का एतराज है तो मूल आदेश एवं सनद के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील स्मालपेच का आवंटन व खातेदारी सनद दिनांक 04–01–2002 को अधीनस्थ न्यायालय के समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी की गई थी, की पालना में दर्ज इन्तकाल की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था, क्योंकि खुद के द्वारा जारी सनद की अपील स्वयं के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। राजस्व मण्डल से प्रकरण रिमाण्ड होने पर तत्कालीन सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ मु. बीकानेर द्वारा रेस्पोडेंट्स के पति/पिता यारूखां के पास सीलिंग से अधिक भूमि होने के कारण अपीलांट का स्माल पेच आवंटन बहाल रखा गया था, जिसकी पत्रावली नहीं मिलने के कारण रेस्पोंडेंटान तमाम गलत कार्यवाहियां कर रहे है। रेस्पोडेंटांन का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। स्व. यारूखां के पास सीलिंग से ज्यादा कमाण्ड भूमि होने के कारण उसे तत्कालीन आवंटन अधिकारी ने स्माल पेच आवंटन का पात्र नहीं माना जिसके विरूद्व यारू खां ने कोई कार्यवाही नही की। यारू खां की मृत्यु के बाद उनके वारिसानों में भूमि बंटने के बाद अब मूल आदेश की अपील नहीं कर गलत कोर्ट में इन्तकाल की अपील की है, तथा अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। इन्तकाल की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग्स एवं फिसकल प्रक्रिया है, जिसमें अधिकार तय नहीं होते है। रेस्पोडेंटांन ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त विवादित भूमि को आवंटन करवाने का एक मात्र हकदार बताया है दुसरी ओर इसी अपील में नामान्तरकरण संख्या 29 को निरस्त कर जैर अपील रकबा अराजीराज दर्ज करने का अनुतोष चाहा है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट्स के पति/पिता के पास सीलिंग से अधिक भूमि थी और रिमाण्ड प्रकरण में उनके विरूद्व निर्णय होने के बाद अपीलांट को परेशान करने हेतु इस भूमि को अराजीराज करवाने के आदेश प्राप्त किये है, जो उचित नहीं है। अपीलांट नं. 1 ने अपीलांट नं. 2 को उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दे दी है, जिसका अपीलांट नं. 2 के हक में नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 18–05–2015

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

भी दर्ज हो चुका है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला का आदेश दिनांक 02–09–2015 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के नाम दर्ज इन्तकाल संख्या 29 दिनांक 27–06–2011 को बहाल रखा जावें।

5. रेस्पोडेंट नं 1 ता 5 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुऐ कहा कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पूगल के आदेश दिनांक 02–09–2015 के विरूद्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें इन्तकाल संख्या 29 को निरस्त किया गया है। दिनांक 18–03–1988 को रेस्पोडेंटगणों के पति/पिता को विवादित भूमि स्माल पेच में आवंटित हुई व उसके बाद दिनांक 06–04–1988 को अपीलांट को आवंटित कर दी गई। तत्पश्चात दोनों पक्षकारों को आधी आधी भूमि आवंटित कर दी गई। इसके बाद अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर में अपील पेश होने पर दिनांक 07–08–1989 को उक्त आदेश निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्व अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई जिसके निर्णय दिनांक 21–9–1990 से समस्त आदेशों को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर आदेशित किया गया था कि पूर्ण जांच करने के पश्चात इस भूमि का दुबारा दोनों पक्षकारान को नोटिस देकर व सुनवाई का अवसर देकर उचित पक्षकार को आवंटन करें। राजस्व मण्डल के आदेश के बाद आज तक कोई उचित आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा कभी पारित नहीं किया गया हैं। दिनांक 4–1–2002 यानि 12 वर्षो के बाद अपीलांट द्वारा राजस्व शिविर प्रभारी अधिकारी प्रशासन गांवों की ओर से बिना पत्रावली के आवंटन आदेश दिनांक 6–4–1988 का हवाला देते हुए खातेदारी प्राप्त कर ली व दस वर्षो बाद दिनांक 27–6–2011 को उक्त खातेदारी सनद् दिनांक 4–1–2002 का इन्तकाल संख्या 29 अपीलांट के नाम सीधे ही दर्ज कर दिया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 2–9–2015 से निरस्त कर भूमि रकबा राज कर दी गई। इस दौरान अपीलांट ने उक्त गलत इन्तकाल की अपील हो जाने पर मेला फाईड इन्टेन्शन से दान पत्र दिनांक 23–3–2015 कर इन्तकाल संख्या 45 से उक्त विवादित भूमि अब्दुल मजीद के नाम करवा दी गई। रेस्पोडेंट के पिता के पास सिलिंग से ज्यादा भूमि मानकर अपीलांट का आवंटन बहला रखा है ऐसा कोई आदेश अपीलांटन ना तो इस न्यायालय में पेश किया है व ना ही अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें व अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावें।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया। अपीलांट्स का मुख्य तर्क यह है कि रेस्पोडेंट्स के पति/पिता के पास सीलिंग से अधिक भूमि थी और वह उक्त स्माल पेच की भूमि के आवंटन का पात्र नहीं था। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से किये गये रिमाण्ड प्रकरण का निर्णय अपीलांट के पक्ष में किया जाकर उसका आवंटन आदेश बहाल रखा गया था। रेस्पोडेंट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मूल आदेश एवं सनद के विरूद्व अपील न कर सनद की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 27–06–2011 के विरूद्व अपील की गई है। जो उचित नहीं है। इन्तकाल की कार्यवाही एक समरी एवं फिसकल प्रोसिडिंग्स है। रेस्पोडेंट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफ तो अपने पति/पिता को उक्त स्माल पेच की भूमि को आवंटन का एक मात्र हकदार बताया है तथा दूसरी ओर उक्त भूमि को अराजीराज दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट नं. 1 ने अपीलांट नं. 2 को उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र दे दी है, जिसका अपीलांट नं. 2 के हक में नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 18–05–2015 भी दर्ज हो चुका है। रेस्पोडेंट्स का मुख्य तर्क यह है कि राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 21–9–1990 द्वारा समस्त आदेश निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया था उसके बाद आज तक कोई उचित आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा राजस्व शिविर में बिना पत्रावली के आवंटन आदेश दिनांक 6–4–1988 का हवाला देते हुऐ खातेदारी प्राप्त कर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इन्तकाल संख्या 29 अपने नाम दर्ज करवा लिया और उसके बाद अपने पुत्र को जरिये दान पत्र दिनांक 23–3–2015 से हस्तान्तरण कर अपने पुत्र अब्दुल मजीद के नाम इन्तकाल संख्या 45 दर्ज करवा लिया। इस संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलांट के कथनानुसार राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्रकरण रिमाण्ड होने पर रेस्पोडेंट्स के पति/पिता यारूखां के पास सीलिंग से अधिक भूमि होने के कारण अपीलांट का स्माल पेच के आवंटन को बहाल रखा गया था, परन्तु उसकी पत्रावली नहीं मिलने के कारण रेस्पोडेंट्स तमाम गलत कार्यवाही कर रहे है। स्व. यारू खां के पास सीलिंग से अधिक भूमि होने के कारण उसे स्माल पेच के आवंटन का पात्र नहीं माना गया जिसके विरूद्व यारू खां ने कोई कार्यवाही नहीं की है। रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में जिस आदेश/सनद की पालना में नामान्तरण दर्ज हुआ है उसके विरूद्व अपील न कर नामान्तरकरण की अपील पेश की है तथा प्रश्नगत भूमि के संबंध में अपने हक की मांग नहीं कर भूमि को अराजीराज दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सनद को अनदेखी कर प्रश्नगत भूमि को अराजीराज दर्ज करने के आदेश दिये गये है, जो किसी भी प्रकार से कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

7. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–09–2015 निरस्त किया जाकर इन्तकाल संख्या 29 दिनांक 27–6–2011 बहाल रखा जाता है।

तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13–11–2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.11.14 17:38:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: